...(**व्यवधान**).. मैं वहाँ के कोयले घोटाले की भी बात नहीं कर रहा हूं। ....(**व्यवधान**).....मैं तो आपको वहाँ की परिस्थितियों से अवगत करा रहा हूं।...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : दीपक प्रकाश जी, आपका समय समाप्त होने वाला है, आप अपने मुद्दे पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपक प्रकाश : हम सभी रोज़गार के सृजन के लिए जानते हैं ...(**व्यवधान**)... .. (**समय की घंटी**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. आपका समय खत्म हो गया है। The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Deepak Prakash: Shri Samir Oraon (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

माननीय डा. अशोक बाजपेयी जी, आप बोलिए।

Safety and security of Doctors

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, देश में लगभग 25 लाख से अधिक चिकित्सक हैं। धरती पर इन्हें इस तरह से माना जाता है कि चिकित्सक धरती का देवता है, वह लोगों का जीवन बचाने का, उनकी रक्षा करने का काम करता है। मान्यवर, जिसे हम धरती का देव कहते हैं, जो लोगों के जीवन की रक्षा करता है, वह स्वयं अपना जीवन असुरक्षित व्यतीत करता है। आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं कि अगर अस्पतालों में कहीं कोई कैज़ुअल्टी हो जाती है, तो उस पेशेंट के परिवार से लोग आकर डॉक्टर के साथ जिस तरीके का मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करने का काम करते हैं, उससे डॉक्टर स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है।

मान्यवर, आज हिंदुस्तान के डॉक्टर्स का दुनिया में जो सम्मान है, दुनिया के तमाम विकसित देश भारतीय डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं और वे सम्मान के साथ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनीं - आप देखेंगे कि कोविड जैसी महामारी के समय हमने उन्हें कोविड वॉरियर कहा और सम्मान देने का काम किया - जब तमाम लोग घरों में बैठे थे, तब डॉक्टर्स अपने प्राणों को असुरक्षित महसूस करते हुए भी मरीजों के जीवन की रक्षा करने का काम कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद इन डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मान्यवर, वैसे तो स्वास्थ्य सेवाएं देना राज्य का विषय है, लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि भारत सरकार इसके लिए कोई विधेयक लाए और इस विधेयक के माध्यम से इन चिकित्सकों की सुरक्षा हो सके।

महोदय, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, जिन्हें लेकर चिकित्सकों के साथ कोर्ट में मारपीट की गई। उसके बाद अगर सीआरपीसी के अंतर्गत डॉक्टर अपना मुकदमा दर्ज़ कराता है, तो

उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, डॉक्टर का ट्रांसफर वहाँ से दूसरे अस्पताल में हो जाता है, लेकिन उसमें कभी भी कन्विक्शन नहीं होता है, न ही दोषियों को दंड दिया जाता है। इसके लिए कोई मेडिकल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए - जैसे तमाम अन्य सेवाओं में ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वैसा ही एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। इसमें पेशेंट का भी पक्ष सुना जाए और डॉक्टर का भी पक्ष सुना जाए। उस ट्रिब्यूनल में स्पेशलिस्ट भी होंगे और यदि किसी डॉक्टर का कोई कृत्य निंदनीय है, तो उसको दंडित किया जाए। अगर डॉक्टर निर्दोष होगा, तो एक्सपर्ट के माध्यम से सारी सच्चाई सामने आ सकेगी। मैं समझता हूं कि इससे डॉक्टर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और वे ज्यादा मनोयोग के साथ अपना काम कर सकेंगे।

मान्यवर, तमाम ऐसे आकस्मिक अवसर भी आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स अनेक तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। एक्सिडेंट के समय डॉक्टर एक्सिडेंट को झेलने का काम करता है, यदि डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों को भी हैंडल करने का काम करता है। मान्यवर, तमाम ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिनसे डॉक्टर जूझता है, लेकिन डॉक्टर की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि सरकार देश के उन 25 लाख से अधिक चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा विधेयक लेकर आए, जिससे वे सुरक्षित हो सकें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, .. (**समय की घंटी**).. मेरी इनसे भी प्रार्थना है कि कोई ऐसा विधेयक लाएं, जिससे वे सुरक्षित हो सकें। मान्यवर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Ashok Bajpai: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Harnath Singh Yadav (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal) and Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh).

Issue of drought and floods in various states including Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, etc.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I wish to raise a matter of utmost importance to the people of Karnataka and the neighbouring States. Karnataka is currently grappling with one of the most severe droughts in the last 123 years. A staggering 223 out of the total 226 talukas in the State have been adversely affected by these drought conditions. Among these, 196 talukas are experiencing